



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- 506 / 12-1 देहरादून: दिनांक: 31 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में चैलछिना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.602 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/38787/2019)।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के ई०डी०एस० दिनांक 21.12.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 21.12.2022 के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1693/12-1 (2) दिनांक 03.01.2024 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In Context with the EDS dt. 22-12-2022, the concerned DFO is requested to visit the site and submit the inspection report.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से उक्त बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-01)
2	The user agency shall submit a detailed map and KML file showing all the proposed village, roads connection the existing villages and the market place, existing Government infrastructure such as Polytechnic, ITI, Colleges, banks, post office, etc.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को जोड़ा जाना है। उन ग्रामों की वर्तमान में उपलब्ध सड़क तक दूरी एवं कॉलेज, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक, डाकघर, बैंक आदि जैसे सरकारी बुनियादी ढाँचे के०एम०एल० में अंकित कर के०एम०एल० ऑनलाईन पार्ट-I के बिन्दु सी० में अपलोड कर ली गयी है।
3	The information regarding the distance of existing roads connecting the proposed villages from the market place is required to be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित मोटर मार्गों से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की दूरी निम्नवत् है। ग्राम त्यूनरा-120 मी० ग्राम रणक- 500 मी० ग्राम बडियारी रैत- 100 मी० ग्राम रौसिला- 50 मी० ग्राम नया संग्रौली-30 मी० ग्राम टिकर- 100 मी०

4	Minimum possible alignment to connect the the existing villages to the market shall be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग हेतु कोई अन्य उपयुक्त संरेखण उपलब्ध नहीं है।
---	---	--

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1506 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9c

9